पं. व्दारकाप्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन
एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

भर्ती एवं सेवा नियम 2013

Recruitment & Service Rules 2013

हिंदी संस्करण

पं. व्दा. प्र. मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान
जबलपुर

पीडीपीएम–आईआईआईटीडीएम भर्ती एवं सेवा नियम 2013

1. ये नियम, पीडीपीएम–आईआईआईटीडीएम जबलपुर भर्ती एवं सेवा नियम 2013 कहलाएंगे जिनमें मोटे तौर पर भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें निहित होंगी.

2. **प्रारंभ :**

ये नियम, संस्थान के अधिशासी मंडल(Board of Governors) व्दारा अनुमोदित किये जाने के बाद अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे.

3. **कार्यक्षेत्र व प्रयुक्तता (स्कोप एंड एप्लीकेशन्स) :**

(i) ये नियम, (अ) संकाय पदों एवं (ब) असंकाय पदों की भर्ती के लिए लागू होंगे.

(ii) ये नियम, समस्त स्वीकृत नियमित/संविदा पदों पर एवं स्वीकृत संकाय पदों पर की जाने वाली अवधि विस्तार योग्य संविदा भर्ती (Tenure-track) हेतु भी लागू होंगे.

(iii) ये नियम, संस्थान के अधिशासी मंडल व्दारा समय समय पर तय किये गए संशोधनों के अध्यधीन होंगे.

4. **परिभाषाएं :**

(ए) **"संस्थान(Institute)"** का अर्थ है, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, जिसे **"पंडित व्दारकाप्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर(Pandit Dwarka Prasad Mishra Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Jabalpur)"** के नाम से जाना जाता है.

(बी) **"समिति(Society)"** का अर्थ है, **"पंडित व्दारकाप्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण समिति, जबलपुर"**.

(सी) **"एमएचआरडी"** का अर्थ है, भारत सरकार का **"मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human Resources Development Department)"**.

(डी) **“भारत सरकार” या “केंद्र सरकार” का अर्थ है, “भारत सरकार”(**Govt. of India).

(इ) **“मंडल(**Board**)” या “अधिशासी मंडल” का अर्थ है, संस्थान का “अधिशासी मंडल (**Board of Governors)**”.**

(एफ) **“एमओए”** का अर्थ है, संस्थान के बहिर्नियम (**“मेमोरेंडम आफ एसोसियेशन**Memorandum of Association)**”.**

(जी) **“अध्यक्षीय व्यक्ति” या “अध्यक्ष”** का अर्थ है, संस्थान के अधिशासी मंडल का **“अध्यक्ष” (**Chair person of the Board of Governers).

(एच) **“निदेशक”** का अर्थ है, संस्थान का **“निदेशक”(**Director**).**

(आय) **“कुलसचिव”** का अर्थ है, संस्थान का **“कुलसचिव”(**Registrar**).**

(जे) **“संकाय” (**Faculty**)** का अर्थ है, कोई भी व्यक्ति, जो सहायक प्राध्यापक, संबध्द**(**Associate**)**प्राध्यापक, प्राध्यापक, बाहय **(**visiting**)**संकाय, बाहय प्राध्यापक या अन्य कोई भी पदनाम जो समय समय पर अधिशासी मंडल/भारत सरकार व्दारा तय किया जाए. संकाय का वेतन संस्थान के कोष से दिया जाता है.

(के) **“पद”** का अर्थ है, एमओए के अनुसार सक्षम प्राधिकारी व्दारा संस्थान हेतु सृजित किया गया कोई भी पद.

(एल) **“सेवा”** का अर्थ है, संस्थान की सेवा या कार्य.

(एम) **“टेनरट्रेक”** का अर्थ है, अवधि विस्तार योग्य संविदा नियुक्ति जो आगे किसी अवधि हेतु विस्तारयोग्य हो.

(एन) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, **(**एमएचआरडी**)** भारत सरकार से अनुमोदित संकाय पदों को छोडकर, अन्य संकाय पदों की **“**नामपध्दति या नामिनक्लेचर या पदनाम**”** अधिशासी मंडल व्दारा अनुमोदित किए अनुसार होगा.

5. <u>पदों का सृजन</u> :

एमओए के अनुसार, मंडल को अधिकार है कि एमएचआरडी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) को निम्न कार्यों हेतु अनुशंसा करें.

(i) संकाय अथवा असंकाय पदों का सृजन अथवा समाप्ति.

(ii)उक्त पदों के कर्तव्य व परिलब्धियां.

अपवाद प्रकरणों में, निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह निधि के उपलब्ध होने पर, अधिशासी मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से, स्वीकृत वेतनमान पर, अस्थायी पद सृजित कर सके, जो कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु न हो. तथापि ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए निदेशक, नियुक्ति प्राधिकारी न हों.

उपरोक्त संदर्भ में यह भी उल्लिखित है कि –

खुले चयन में पदोन्नति के कारण रिक्त हुए संकाय पद, स्थायी आधार पर, पदोन्नत कार्मिक के स्थायी होने की प्रतीक्षा किए बिना भी, भरे जा सकते है.

5.1 पदों का वर्गीकरण –

संस्थान के पद निम्नानुसार वर्गीकृत होंगे –

(अ) संकाय – निदेशक, उप निदेशक/गण, प्राध्यापक, संबध्द प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या मंडल व्दारा समय समय पर अनुमोदित कोई भी अन्य पद.

(ब) असंकाय – इस श्रेणी में दो प्रकार के पद होंगे.

(i) शैक्षिक आधार – इसमें वे सभी पद सम्मिलित होंगे जिनमें शोध एवं विकास आधारित गतिविधियां, पुस्तकालय आधारित, प्रयोगशाला आधारित गतिविधियां चलती हो व मंडल व्दारा समय समय पर अनुमोदित ऐसे अन्य पद.

(ii) शैक्षिकेत्तर – ऐसे असंकाय पद, जो कि उक्त (i) में सम्मिलित न हों.

5.2 वेतनमान(पे स्केल्स) –

मानव संसाधन विकास मंत्रालय व्दारा तय किया गया व समय समय पर संस्थान व्दारा उसके मंडल के माध्यम से अपनाया गया वेतनमान दिया जाएगा. वर्तमान में भारत सरकार के व्दारा गठित वेतन आयोग की सिफारिशों, जिन्हें भारत सरकार व्दारा स्वीकृत व मानव संसाधन विकास मंत्रालय व्दारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार वेतनमान व श्रेणी वेतन (ग्रेड पे)प्रभावी है.

6. नियुक्ति प्राधिकारी :

निदेशक को छोडकर, संस्थान के सभी कार्मिकों की नियुक्ति, संस्थान के एमओए के अनुच्छेद 13(ए)व 13(बी) में दी गई प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी.

7. भर्ती (Recruitment) :

निदेशक को छोडकर, संस्थान के समस्त पद सामान्यतः सार्वजनिक विज्ञप्ति/घोषणा व्दारा भरे जाएंगे. संस्थान की वेबसाइट पर सतत विज्ञापन के तौर पर

की जाने वाली सार्वजनिक विज्ञप्ति भी, संकाय पदों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन प्राप्ति का आधार होगी, जो वर्तमान में सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु है, व समय समय पर मंडल के अनुमोदन से बदली जा सकती है.

7.1 निष्प्रभाव (सेविंग क्लाज) –

केंद्र सरकार के व्दारा समय समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों के अनुरुप, जहां, अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिक व अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता या अन्य कोई छूट दिया जाना अपेक्षित हो, वहां ये नियम किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेंगे.

7.2 संकाय पदों पर संविदा/अवधि विस्तार योग्य संविदा (टेनरट्रेक) नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु भारतीय नागरिक/विदेशी नागरिक एवं आप्रवासी भारतीय पात्र होंगे. तथापि, नियमित व स्थायी नियुक्ति हेतु केवल भारतीय नागरिक ही पात्र होंगे.

7.3 सार्वजनिक विज्ञप्ति/घोषणा हेतु मसौदा –

सार्वजनिक विज्ञप्ति में सामान्यतः ये शामिल होंगे –

(ए) पद का नाम जिसे भरा जाना हो.

(बी) भर्ती का क्षेत्र एवं भर्ती का प्रकार जैसे सीधी भर्ती, पदोन्नति, संविदा, प्रतिनियुक्ति आदि.

(सी) पद से जुडा हुआ वेतनमान व श्रेणी वेतन तथा भत्ते.

(डी) अभ्यर्थी से अपेक्षित न्यूनतम योग्यता.

(इ) अतिरिक्त/वांछनीय योग्यता, यदि कोई हो.

(एफ) प्रकार व अवधि के साथ, अपेक्षित पूर्व अनुभव.

(जी) आयुसीमा, योग्यता व अनुभव में शिथिलता/छूट, यदि कोई हो. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्गों/शारिरिक विकलांग/विभागीय उम्मीदवार/शासकीय सेवकों एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आयुसीमा में शिथिलता/छूट, केंद्र सरकार के नियमों व उसके व्दारा समय समय पर की गई घोषणा के अनुरुप होगी.

(एच) इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र (फार्म) प्राप्त करने का तरीका.

(आय) पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र (फार्म)संस्थान में प्राप्त होने की अंतिम तिथि. भरे हुए आवेदन पत्र (फार्म)प्राप्त होने हेतु, सामान्यतः सार्वजनिक घोषणा/विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिवस का समय दिया जाएगा.

(जे) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को, पात्रता की सभी शर्तें पूरी होने बाबत अधिसूचना.

(के)ऐसे उम्मीदवारों बाबत अधिसूचना, जो शासकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रम/स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों सहित शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत हों, कि वे आवेदन उचित

माध्यम से प्रेषण करें अथवा साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणापत्र नियोक्ता से लेकर प्रस्तुत करें, कि आवेदित पद हेतु उम्मीदवार के नाम का विचार करने में नियोक्ता को आपत्ति नहीं है.

जब कोई पद अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग(पर्सन विथ डिसएबिलिटी) उम्मीदवार हेतु आरक्षित हो, तो इस तथ्य को सार्वजनिक घोषणा/विज्ञप्ति में विशेष रुप से दर्शाया जाएगा. विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित होने पर विकलांगता की उप श्रेणी को विशेष रुप से दर्शाया जाएगा. यह भी दर्शाया जाएगा कि दर्शित (आयडेंटिफाइड) पद विकलांग उम्मीदवार के कार्य करने योग्य है अथवा नहीं. यदि योग्य हो तो विकलांगता का प्रकार व उप श्रेणी भी दर्शाई जाएगी जैसे नेत्र बाधित(विजुअली इंपेयर्ड)/श्रवण बाधित(हियरिंग इंपेयर्ड) इत्यादि.

जब विज्ञापित पद अस्थायी हो परंतु आगे लंबे समय तक जारी रह सकता हो तो यह दर्शाया जाना चाहिए कि "पद अस्थायी है परंतु आगे जारी रहना संभावित है".

7.4 आवेदन शुल्क – किसी भी पद के आवेदन हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा.

7.5 संपर्क – समस्त पत्राचार निम्न पते पर किया जाए –
सहायक कुलसचिव (स्थापना),
पीडीपीएम आयआयआयटीडीएम, जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया
जबलपुर 482005 (भारत)

7.6 आवेदनों पर कार्रवाई –

आवेदनों पर निम्न प्रक्रिया व्दारा कार्रवाई की जाएगी.

(ए) निर्धारित अंतिम तिथि तक संबंधित अनुभाग में प्राप्त आवेदनों को एक निश्चित पहचान नंबर दिया जाएगा व वे आवेदन, संबंधित कार्यालय सहायक के पास जमा रहेंगे. आवेदन में दिए गए आवेदक के पूरे ब्यौरे जैसे नाम, जन्मतारीख, न्यूनतम योग्यता, वांछित योग्यता, आवेदक का वर्ग/श्रेणी आदि संबंधित जानकारी इसी उददेश्य हेतु निर्धारित इलेक्ट्रानिक रजिस्टर में (कंप्यूटर पर), आवेदन प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर दर्ज किए जाएंगे. तदुपरांत, निदेशक व्दारा या निदेशक व्दारा प्रत्यायोजित (डेलिगेटेड) अधिकार प्राप्त, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी व्दारा आवेदनों की जांच हेतु गठित जांच समिति को समस्त आवेदन व डाटा शीट अग्रेषित किए जाएंगे.

(बी) जांच समिति, सीमाबध्द (शार्टलिस्टेड) पात्र उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करेगी जिन्हें चयन समिति व्दारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है.

यह अनुशंसा चयन समिति/अध्यक्ष व्दारा पूर्व में ही तय किए गए परीक्षण मापदंडों(स्क्रीनिंग) के आधार पर होगी.

(सी) संकाय पदों हेतु आवेदन व डाटा शीट संबंधित विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन) प्रमुख के पास भेजे जाएंगे जो सामान्यतः निदेशक व्दारा इस उददेश्य हेतु गठित, विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन) समिति की अनुशंसा हेतु, समिति से आवेदनों पर चर्चा करेगा. सतत विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन भी संबंधित विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन) प्रमुख के पास, विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन) समिति की अनुशंसा हेतु भेजे जाएंगे.

विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन)प्रमुख, विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन) समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक आवेदक की उम्मीदवारी पर अपनी अनुशंसा चयन समिति के अध्यक्ष को भेजेगा.

(डी) तकनिकी/कौशल/लिखित परीक्षा लेने का तरीका व विषयवस्तु तय करने की जवाबदारी चयन समिति की होगी. चयन समिति के अध्यक्ष व्दारा, संबंधित विषयक्षेत्र(डिसीप्लीन) प्रमुख अथवा कुलसचिव (रजिस्ट्रार), (जो कि सामान्यतः चयन समिति का सदस्य होता है) को, परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है. परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन (परफार्मेंस) बाबत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) चयन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा.

आवेदनों पर कार्रवाई हेतु संस्थान व्दारा निम्न उपाय किए जाएंगे.

(i) रिक्तियों को भरने के लिए प्रथम बार विज्ञापित किए जाते समय, सामान्य प्रक्रिया(रुटीर्न) के रुप में, शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि यदि प्रथम विज्ञापन को समुचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, केवल तभी विभिन्न पदों हेतु निश्चित अनिवार्य योग्यताओं में संशोधन अथवा छूट दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा. यह संशोधन भी, अधिशासी मंडल के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा. यह भी, कि उक्त संशोधन/छूट अकेले व्यक्ति को न दी जाकर केवल व्यक्तियों की श्रेणी/समूह को ही दी जाएगी.

(ii) आवेदकों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने प्रमाणपत्र/प्रशंसापत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ही भेजें व मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें.

(iii) लिखित/प्रायोगिक/कौशल परीक्षा या चयन समिति व्दारा लिए गए साक्षात्कार के समस्त अभिलेख, समिति की अनुशंसा के साथ, कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के कार्यालय में एक वर्ष अथवा भर्ती फाइल चालू रहने तक, जो भी बाद में हो, तक संधारित किए जाएंगे.

7.7 चयन समिति –

7.7.1 (ए) विशेषज्ञ मंडल (पैनल) – संबंधित विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र(डोमेन) के विशेषज्ञों का एक विशेषज्ञ मंडल (पैनल) समय समय पर अधिशासी मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) के अनुमोदन से बनाया जाएगा. अनुमोदित विशेषज्ञ मंडल के विशेषज्ञ, अधिशासी मंडल के नामिति (मंडल व्दारा नामांकित विशेषज्ञ) होंगे व विशेषज्ञ मंडल (पैनल), मंडल(बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) व्दारा, नए विशेषज्ञ मंडल का, अनुमोदन किए जाने तक कार्यशील रहेगा. अध्यक्ष, अधिशासी मंडल को अधिकार होगा कि निदेशक की अनुशंसा पर वह किन्ही अन्य नामों को विशेषज्ञ के रुप में, (मंडल नामिति के तौर पर), अनुमोदित करें.

(बी) संबंधित विभिन्न विषय क्षेत्रों(डिसीप्लीन) के विशेषज्ञों का एक विशेषज्ञ मंडल (पैनल) समय समय पर शासी परिषद (सीनेट) के अनुमोदन से बनाया जाएगा. अनुमोदित विशेषज्ञ मंडल के विशेषज्ञ, शासी परिषद (सीनेट) के नामित विशेषज्ञ (शासी परिषद (सीनेट) व्दारा नामांकित विशेषज्ञ) होंगे व अनुमोदित विशेषज्ञ मंडल (पैनल), नए विशेषज्ञ मंडल का, शासी परिषद (सीनेट) व्दारा, अनुमोदन किए जाने तक कार्यशील रहेगा. शासी परिषद (सीनेट)के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि संकाय अध्यक्षों (डीन)/ विषय क्षेत्र(डिसीप्लीन) प्रमुखों की इसी उददेश्य हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर वह किन्ही अन्य नामों को विशेषज्ञ के रुप में, (सीनेट नामिति के तौर पर), अनुमोदित करें.

7.7.2 चयन समिति में सदस्य के तौर पर आरक्षित श्रेणी/अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व –

एमएचआरडी के परिपत्रांक 39016/1/2012 ई.2 दिनांक 18.09.12 के अनुसार, जब आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधि को चयन समिति के सदस्य के तौर पर शामिल करने की आवश्यकता हो, वहां निदेशक को उक्त प्रतिनिधि का नाम अनुमोदित करने का अधिकार होगा. प्रतिनिधि सामान्यतः केंद्र सरकार/राज्य शासन के विभाग या संगठन/स्वायत्त संस्था/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी होगा, जो उस पद/वेतनमान, जिसके लिए चयन समिति बनाई गई है, से उच्चतर पद/वेतनमान का धारिती हो.

7.7.3 केंद्र सरकार का नामिति, एमएचआरडी(मानव संसाधन विकास मंत्रालय) व्दारा नामित किया जाएगा.

चयन समिति का गठन, निदेशक व्दारा संस्थान के बहिर्नियम (एमओए) के अनुच्छेद 9 में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.

7.7.4 चयन समिति व उसकी बैठक/कों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –

(ए) संकाय भर्ती हेतु –

संकाय भर्ती हेतु, निदेशक के निर्णयानुसार, विचार गोष्ठी (सेमिनार)/अध्यापन सत्र का आयोजन, साक्षात्कार के पूर्व किया जा सकता है. भारत के बाहर रहने वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार/विचार गोष्ठी (सेमिनार) के आयोजन हेतु ऑनलाइन वीडियो का तरीका भी उपयोग में लाया जा सकता है. चयन समिति, सभी आवेदकों की योग्यताओं/उपलब्धियों का परीक्षण करेगी व चयन समिति के ध्यान में अन्य तरीके से लाए गए अथवा किसी सदस्य व्दारा सुझाए गए उपयुक्त नामों पर भी, यदि लाए गए, विचार कर सकती है. चयन समिति, उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा, अधिशासी मंडल को करेगी. किसी उम्मीदवार की समक्ष उपस्थिति न होते हुए भी, अथवा ऑनलाइन वीडियो के तरीके से सात्क्षात्कार लिया जाने पर अनुशंसा की गई हो तो, अपनी अनुशंसा में, चयन समिति व्दारा यह तथ्य दर्शाया जाएगा. आवश्यकता प्रतीत होने पर, चयन हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों के साथ, चयन समिति व्दारा, प्रतीक्षा सूची की भी अनुशंसा की जा सकती है. प्रत्येक प्रकरण में चयन समिति व्दारा, वेतनमान में प्रारंभिक वेतन की भी अनुशंसा की जाएगी.

(बी) अन्य पदों पर भर्ती :

चयन समिति, सभी आवेदकों की योग्यताओं/उपलब्धियों का परीक्षण करेगी व चयन समिति के अध्यक्ष के विवेकानुसार, उम्मीदवारों की लिखित/कौशल परीक्षा, लघु परीक्षण(स्क्रीनिंग) व साक्षात्कार का आयोजन करेगी एवं अधिशासी मंडल/निदेशक, जैसा भी मामला हो, को, उम्मीदवारों के नामों की उनके योग्यताक्रम के अनुसार अनुशंसा करेगी.

चयन समिति व्दारा, आवश्यकता प्रतीत होने पर, चयन हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों के साथ, प्रतीक्षा सूची की भी अनुशंसा की जा सकती है. प्रत्येक प्रकरण में चयन समिति व्दारा, वेतनमान में प्रारंभिक वेतन की भी अनुशंसा की जाएगी.

(सी) चयन समिति के अध्यक्ष व्दारा, आवश्यकतानुसार, चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी. चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को, विज्ञापन की प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु बुलाए गए समस्त उम्मीदवारों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएंगे.

(डी) चयन समिति के सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति संख्या (कोरम) तीन होगी जिनमें कम से कम एक विशेषज्ञ होगा.

(ई) किसी चयन समिति का कोई भी कार्य अथवा बैठक की कार्रवाई पर मात्र किसी सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, बशर्ते, चयन समिति की कोई बैठक होने की आवश्यकता होने पर, संस्थान के पदनामित अधिकारी/कर्मचारी व्दारा बैठक की तारीख से, कम से कम एक पखवाडे पहले, चयन समिति के सदस्यों को सूचना दी गई हो.

(एफ) अन्यथा प्रावधान न होने पर, इन नियमों के तहत, किसी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किए जाने के उददेश्य से गठित चयन समिति, नियुक्ति होने तक, उक्त पद संबंधी अपने कार्य करने हेतु सक्षम होगी.

(जी) जब चयन समिति की बैठक के दौरान, समिति सदस्यों का मत (वोट), समान रुप से विभाजित हो जाए, तो चयन समिति के अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा.

7.8 प्रस्तावित वेतन का निर्धारण –

संस्था में कर्मचारी की नियुक्ति होने पर, उसके प्रारंभिक वेतन का निर्धारण, समय समय पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुरुप किया जाएगा. जिन प्रकरणों में, नियुक्ति प्राधिकारी को पदधारी की नियुक्ति का प्राधिकार हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि चयन समिति की अनुशंसा पर, किसी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम वेतन से उच्चतर स्तर(हायर स्टेज) का वेतन निर्धारित कर सके. ऐसे प्रकरणों में जिनमें अधिशासी मंडल का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहां अग्रिम वेतनवृध्दियां देने की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, परंतु उन पदों पर, जहां निदेशक, नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहां वेतनवृध्दियां देने की अधिकतम सीमा पांच वेतनवृध्दियां होंगी. तथापि, ऐसे प्रकरण में जहां, चयन समिति व्दारा अनुशंसित वेतनवृध्दियों की संख्या पांच से अधिक हो व निदेशक ही नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहां, निदेशक की अनुशंसा पर, प्रकरण में निर्णय,

मंडल (बोर्ड) व्दारा किया जाएगा. ऐसे समस्त प्रकरणों में, अग्रिम वेतनवृध्दियां देने/अनुशंसा करने का कारण/औचित्य चयन समिति व्दारा स्पष्ट रुप से दिया जाएगा. चयनित उम्मीदवार के वेतन का, वेतनमान में निर्धारण, केंद्र सरकार के मूलभूत एवं पूरक नियमों के तहत किया जाएगा.

7.8.2 आंतरिक(विभागीय) उम्मीदवार –

ऐसे प्रकरणों में जहां, आंतरिक(विभागीय) उम्मीदवारों को खुले चयन/पदोन्नति के तहत, उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, वहां केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे.

7.8.3 बाहय उम्मीदवार –

जहां, किसी बाहय उम्मीदवार का चयन, विज्ञापन व्दारा, खुली प्रतियोगिता के तहत किया गया हो, वहां उसके प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करते समय निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा.

(i) जहां, चयन समिति को लगता है कि खुली प्रतियोगिता के तहत चयनित उम्मीदवार का वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से, उच्च स्तर पर निर्धारित होना चाहिए, वहां, चयन समिति व्दारा निम्न

कारक(फेक्टर्स) ध्यान में रखे जाएंगे व उक्त उच्च स्तर के वेतन की अनुशंसा का विस्तृत कारण, अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, जिसे चयन के कार्यवृत्त पर अनुमोदन मांगे जाते समय, नियुक्ति प्राधिकारी के विशेष रुप से ध्यान में लाया जाएगा.

(ए) उम्मीदवार संबंधित क्षेत्र में, निर्धारित योग्यता से अधिक अथवा आवेदनों को सीमाबध्द (शार्ट लिस्ट) किए जाने हेतु तय मापदंडों से अधिक योग्यता धारक हो.

(बी) उम्मीदवार पद से संबध्द कार्यों व जिम्मेदारियों से अधिक ऐसा विशिष्ट ज्ञान/योग्यता/अनुभव रखता हो जिसके लिए उसके पास दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो.

(सी) तत्सम अथवा उच्चतर श्रेणी के कार्य का अनुभव (वर्षों में).

(डी) जहां उम्मीदवार शासकीय या अर्ध शासकीय विभाग/संस्था से आया हो, उसका अंतिम वेतन.

(ई) समान श्रेणी/पद के वेतन की, पदधारी व्दारा आहरित वेतन से तुलना.

(ii) यद्यपि, उपरोक्त सभी बिंदु एकमुश्त आधार पर **(**एज ए व्होल**)**, विचार योग्य होंगे परंतु अधिकतम जोर **(**वेटेज**)**, (ई) बिंदु पर दिया जाए जिससे नवनियुक्त उम्मीदवार का वेतन, समान पद/श्रेणी पर पूर्व से कार्यरत पदधारियों के वेतन ढांचे से विसंगत या बेमेल न हो जाए.

(iii) अपवाद स्वरुप, जहां चयन समिति व्दारा पांच से अधिक वेतनवृध्दियों के साथ प्रारंभिक वेतन की अनुशंसा की जाती है, वहां ऐसी अनुशंसा किए जाने के विस्तृत कारण समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किए जाएंगे.

अन्य माध्यमों से नियुक्ति, जैसे विभागीय पदोन्नति/किसी पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति जो आंतरिक उम्मीदवारों में प्रतियोगिता को सीमित करती हो, में प्रारंभिक वेतन, संबंधित योजना/नियमों के तहत निर्धारण किया जाना जारी रह सकेगा एवं ऐसा कोई प्रावधान संबंधित योजना/नियमों में न होने की स्थिति में केंद्र सरकार के आधारभूत व पूरक नियमों के तहत प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जाएगा.

8. चयन समिति की अनुशंसा :

जिन पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक ही नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहां चयन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन निदेशक व्दारा किया जाएगा. जिन पदों पर नियुक्ति हेतु मंडल (बोर्ड) नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहां चयन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने हेतु मंडल (बोर्ड) का अध्यक्ष अधिकृत है. अनुमोदन के तत्काल बाद, मंडल (बोर्ड) को सूचित (रिपोर्ट) किया जाएगा.

9. नियुक्ति के प्रस्ताव :

चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात, नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाएगा. नियुक्ति प्रस्ताव में प्रस्तावित वेतन, भत्तों की दरें, नियुक्ति की अवधि, समय

समय पर प्रभावी नियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें तथा तय की गई अंतिम तारीख जब तक उम्मीदवार व्दारा प्रस्ताव की स्वीकृति बाबत सूचना दी जाएगी, शामिल होंगे.

उम्मीदवार, जिसे संस्थान में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया हो, को सामान्यतः नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से, भारत में हो तो तीन माह व विदेश स्थित उम्मीदवार को छै माह की अवधि में अपनी उपस्थिति देनी होगी तथापि, उपस्थिति देने की अवधि को, निदेशक, आवश्यकतानुरुप या उम्मीदवार के अनुरोध पर, बढा सकता है.

उम्मीदवार से अपेक्षित है कि वह संस्थान व्दारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं. संतोषजनक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति प्रस्ताव प्रभावशील होगा.

10. चयन सूची / प्रतीक्षा सूची(पैनल) की वैधता अवधि :

चयन समिति की अनुशंसाएं, सक्षम प्राधिकारी व्दारा अनुमोदन की तिथि से मात्र एक वर्ष हेतु वैध होंगी. इस एक वर्ष की अवधि में, उन क्षेत्रों, जहां चयन हेतु विज्ञापन दिया गया था, में से किसी एक में, किसी भी कारणवश यदि कोई रिक्ति (वेकेंसी) होती है, जैसे चयनित उम्मीदवार व्दारा प्रस्ताव अस्वीकार करना, दी गई अवधि में उपस्थिति न देना, उपस्थिति देने के बाद सेवा छोड देना या उपस्थिति देने के बाद उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना आदि, तो, प्रतीक्षा सूची (पैनल) में अगले क्रम के उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाएगा. तथापि, यदि किसी उम्मीदवार को, किसी विशिष्ट उम्मीदवार के स्थान पर, प्रतीक्षा सूची में रखा गया हो तो उस विशिष्ट उम्मीदवार व्दारा संस्थान में

उपस्थिति देने की तारीख अथवा एक वर्ष की सीमा, दोनों में से जो भी पहले हो, को प्रतीक्षा सूची स्वतः ही समाप्त हो जाएगी.

11. संकाय पदों हेतु वेतनमान, योग्यताएं व अनुभव :

पदनाम	न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	आयु सीमा	वेतनमान(पे स्केल) व श्रेणीवेतन (ग्रेड पे)
	आयुसीमा को छोडकर, अधिशासी मंडल की बैठक क्र0 2/2011 दिनांक 30.06.2011 व्दारा अनुमोदित		
प्राध्यापक (प्रोफेसर)	पी.एचडी के साथ प्रथम श्रेणी में तत्कालपूर्व उपाधि (डिग्री) या समकक्ष एवं बहुत अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ, न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन(टीचिंग)/अनुसंधान(रिसर्च) /व्यावसायिक अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष संबध्द प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर) के स्तर पर हो. उम्मीदवार ने अनुसंधान/विकास में, विशिष्ट क्षेत्र विशेषज्ञता में, नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित की हो – यथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं (जर्नल)में उसके कार्य का प्रकाशन , सम्मेलनों (कांफ्रेंस) में योगदान, स्वामीत्व अधिकार (पेटेंट), प्रयोगशाला/पाठयक्रम विकास कार्य, स्नातकोत्तर व पी. एचडी छात्रों का मार्गदर्शक(गाइड)	अधिमानतः 55 वर्ष तक	37400–67000 (पे बैंड 4) एजीपी रु.10500/– पे बैंड में न्यूनतम वेतन रु.48000/–

	रहा हो, एवं / या अन्य संबंधित मान्यता प्राप्त उल्लेखनीय व्यावसायिक गतिविधियां / उपलब्धियां.		
संबध्द प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर)	पी.एचडी के साथ प्रथम श्रेणी में उपयुक्त शाखा में तत्कालपूर्व उपाधि(डिग्री) या समकक्ष एवं बहुत अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ, न्यूनतम 6 वर्ष का अध्यापन(टीचिंग) / औदयोगिक / अनुसंधान(रिसर्च) अनुभव (पी. एचडी करते समय लिए गए अनुभव को छोडकर) जिसमें से कम से कम 3 वर्ष सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी / वरिष्ठ अभिकल्पन अभियंता के स्तर पर हो. उम्मीदवार व्दारा स्वतंत्र अनुसंधान में पर्याप्त अनुभव क्षमता प्रदर्शित की गई हो – यथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं (जर्नल)में उसके कार्य का प्रकाशन , सम्मेलनों (कांफ्रेंस) में योगदान, स्वामीत्व अधिकार (पेटेंट), स्नातकोत्तर व पी. एचडी छात्रों का मार्गदर्शक(गाइड) रहा हो, एवं / या अन्य संबंधित मान्यता प्राप्त उल्लेखनीय व्यावसायिक गतिविधियां / उपलब्धियां.	अधिमानतः 45 वर्ष तक	37400–67000 (पे बैंड 4) एजीपी रु.9500 / – पे बैंड में न्यूनतम वेतन रु.42800 / –

सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर)	पी.एचडी के साथ प्रथम श्रेणी में उपयुक्त शाखा में तत्कालपूर्व उपाधि(डिग्री) या समकक्ष एवं लगातार बहुत अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ, न्यूनतम 3 वर्ष का अध्यापन(टीचिंग) / अनुसंधान(रिसर्च) / औदयोगिक अनुभव (पी. एचडी करते समय लिए गए अनुभव को छोडकर). उम्मीदवार व्दारा अनुसंधान / विकास में विशिष्ट क्षमता प्रदर्शित की गई हो – यथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं (जर्नल)में उसके कार्य का प्रकाशन , सम्मेलनों (कांफ्रेंस) में योगदान, स्वामीत्व अधिकार (पेटेंट) आदि.	अधिमानतः 35 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) एजीपी रु.8000 / – पे बैंड में न्यूनतम वेतन रु.30000 / –
संविदा पर सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कांट्रेक्ट)	प्रौदयोगिकी स्नातक या स्नातकोत्तर(बी.टेक या एम. टेक) के साथ इंजिनीयरिंग में पी.एचडी या विज्ञान स्नातकोत्तर(एम.एससी) के साथ गणित / विज्ञान में पी. एचडी / अन्य संबंधित शाखा(डिसीप्लीन) में स्नातकोत्तर उपाधि(डिग्री) के साथ पी. एचडी. साथ ही बहुत अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं (जर्नल)में	अधिमानतः 35 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) एजीपी रु.6000 / – के साथ 7 असंचयी(नॉन

	अनुसंधान कार्य का प्रकाशन आदि.		कंपाउंडिंग) अग्रिम वेतनवृध्दियां.

12

13

12. <u>असंकाय पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं व अनुभव</u> :

<u>ग्रुप ए</u>

पदनाम	न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	आयु सीमा	वेतनमान(पे स्केल) व श्रेणीवेतन(ग्रेड पे)
कुलसचिव (रजिस्ट्रार)	न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष “बी” ग्रेड के साथ, स्नातकोत्तर (मास्टर्स) उपाधि(डिग्री). ए. 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से कम से कम 8 वर्ष का अनुभव, उप कुलसचिव (डिप्टी रजिस्ट्रार) या समकक्ष पद पर हो. या बी. अनुसंधान संस्थान एवं/या उच्च शिक्षा की अन्य	अधिमानतः 55 वर्ष तक	37400–67000 (पे बैंड 4) जी.पी. रु.10000/–

	संस्थाओं में तुलनायोग्य अनुभव या सी. एजीपी रु.7000/– या अधिक पर सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रुप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या एजीपी रु.8000/– या अधिक पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा जिसमें संबध्द प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर) के रुप में कार्य व शैक्षणिक प्रशासन का अनुभव शामिल होगा.		

13

14

ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन)	ए. न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष "बी" ग्रेड के साथ ग्रंथालय विज्ञान (लाइब्रेरी साइंस)/सूचना विज्ञान /प्रलेखीकरण(डाक्यूमेंटेशन) में स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के साथ लगातार बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड व ग्रंथालय के कंप्यूटरीकृत स्वचालन (लाइब्रेरी आटोमेशन) की जानकारी. बी. किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय(यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी) /राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान के ग्रंथालय में उप ग्रंथपाल (डिप्टी लाइब्रेरियन)के रुप में कम से कम 13 वर्ष का अनुभव या किसी महाविद्यालय के ग्रंथपाल(कालेज लाइब्रेरियन) के रुप में 18 वर्ष का अनुभव. सी. नवीन(इनोवेटिव) स्वस्फुर्त तरीकों से लाइब्रेरी सेवा एवं प्रकाशित कार्य के व्यवस्थित(आर्गनाइज्ड) संधारण बाबत साक्ष्य. वांछनीय योग्यता : ग्रंथालय विज्ञान (लाइब्रेरी साइंस)/सूचना विज्ञान /प्रलेखीकरण (डाक्यूमेंटेशन)/पुरातत्व व पांडुलिपियों(मेन्यूस्क्रीप्ट) के संधारण में एम.फील डिग्री/पी एचडी.	अधिमानतः 55 वर्ष तक	37400–67000 (पे बैंड 4) एजीपी रु.10000/–

14

उप ग्रंथपाल (डिप्टी लाइब्रेरियन)	ए. न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष "बी" ग्रेड के साथ ग्रंथालय विज्ञान(लाइब्रेरी साइंस)/सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण (डाक्यूमेंटेशन) में स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के साथ लगातार बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड व ग्रंथालय संगणकीकरण (लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन) की जानकारी. बी. विश्वविद्यालय ग्रंथालय(यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी) / महाविद्यालय ग्रंथालय(कालेज लाइब्रेरी)/ किसी संस्थान के ग्रंथालय में सहायक ग्रंथपाल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन)के रुप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव. सी. नवीन(इनोवेटिव) स्वस्फुर्त तरीकों से लाइब्रेरी सेवा एवं प्रकाशित कार्य के व्यवस्थित(आर्गनाइज्ड) संधारण एवं व्यावसायिक प्रतिबध्दता(प्रोफेशनल कमिटमेंट) बाबत साक्ष्य. ग्रंथालय के कंप्यूटरीकृत स्वचालन (लाइब्रेरी आटोमेशन) की जानकारी. वांछनीय योग्यता : ग्रंथालय विज्ञान (लाइब्रेरी साइंस)/सूचना विज्ञान /प्रलेखीकरण (डाक्यूमेंटेशन)/पुरातत्व व पांडुलिपियों(मेन्यूस्क्रीप्ट) के संधारण में एम.फील डिग्री/पी एचडी.	50 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) एजीपी रु. 8000/–
उप कुलसचिव (डिप्टी रजिस्ट्रार)	न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष "बी" ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री. ए. सहायक कुलसचिव (असिस्टेंट रजिस्ट्रार) या समकक्ष पद पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो. या बी. अनुसंधान संस्थान एवं/या उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में तुलनायोग्य अनुभव या	45 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 7600/–

	सी. एजीपी रु.6000/– या अधिक पर किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रुप में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव साथ ही शैक्षणिक प्रशासन का अनुभव .		

15

16

स्वास्थ्य अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर)	(i)एमबीबीएस डिग्री के साथ एम.डी. (ii)शासकीय/निजी चिकित्सालय में 8 वर्ष प्रेक्टिस का अनुभव.	अधिमानतः 45 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 7600/–
अधीक्षण अभियंता (सुपरिंटेंडिंग इंजिनीयर)	सिविल इंजिनीयरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री). साथ ही 15 वर्ष का सिविल इंजिनियरिंग में अनुभव जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव कार्यपालन अभियंता अथवा समकक्ष स्तर पर निर्माण(कंस्ट्रक्शन), योजना(प्लानिंग), संविदा प्रबंधन(कांट्रेक्ट मेनेजमेंट) क्षेत्रों तथा भवन निर्माण कार्य/संचालन एवं तत्संबंधी सहायक सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, मल प्रबंधन(सीवरेज), सडक संबंधी कार्यों का हो व प्राक्कलनों(एस्टीमेटस) व निविदा(टेंडर) दस्तावेजों को बनाना व उनका सत्यापन, कालोनी(टाउनशिप) के रखरखाव संबंधी कार्यों का अनुभव.	अधिमानतः 55 वर्ष तक	37400–67000 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 7600/–

कार्यपालन अभियंता (एक्जीक्युटिव इंजिनीयर) (सिविल)	(i) सिविल इंजिनीयरिंग में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में स्नातक उपाधि (बेचलर डिग्री). (ii)योजना(प्लानिंग), अभिकल्पन(डिजाइन), सिविल इंजिनियरिंग की परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण तथा सिविल संविदा प्रबंधन में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव सहायक अभियंता या समकक्ष स्तर या न्यूनतम 12 वर्ष का कुल अनुभव योजना(प्लानिंग), अभिकल्पन(डिजाइन), निर्माण(कंस्ट्रक्शन), सिविल इंजिनियरिंग की परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण एवं सिविल	45 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 6600/–

	संविदा प्रबंधन के क्षेत्र में हो.		

16

17

कार्यपालन अभियंता (एक्जीक्युटिव इंजिनीयर) विद्युत (इलेक्ट्रीकल)	(i)विद्युत अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रीकल इंजिनीयरिंग) में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में स्नातक उपाधि (बेचलर डिग्री). (ii)योजना(प्लानिंग), अभिकल्पन(डिजाइन), इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग की परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण तथा इलेक्ट्रीकल संविदा प्रबंधन में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव सहायक अभियंता या समकक्ष स्तर का हो या न्यूनतम 12 वर्ष का कुल अनुभव योजना(प्लानिंग), अभिकल्पन(डिजाइन), इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग की परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण एवं इलेक्ट्रीकल संविदा प्रबंधन के क्षेत्र में हो.	45 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 6600/–
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (सीनियर टेक्नीकल आफिसर)	बी.टेक/बी.ई./ संबंधित क्षेत्र में एम.एससी/एमसीए, के साथ बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड जो लगातार(संचयी) प्रदर्शन सूची (क्युम्युलेटिव परफार्मेंस इंडेक्स)में 10 पाइंट स्केल या समकक्ष ग्रेड/प्रतिशत पर 6.5 या अधिक हो साथ ही पे बैंड 3 में जीपी रु. 5400/– पर तकनीकी अधिकारी (टेक्नीकल आफिसर)या समकक्ष स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) कार्य अनुभव.	45 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 6600/–
सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजिनीयर) (सिविल)	(i) सिविल इंजिनीयरिंग में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में स्नातक उपाधि (बेचलर डिग्री). साथ ही सिविल निर्माण कार्य के संचालन एवं संधारण में 3 वर्ष का अनुभव या (ii) सिविल इंजिनीयरिंग में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में 3 वर्ष अवधि का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा व सिविल निर्माण कार्य के संचालन एवं संधारण में 8 वर्ष का अनुभव.	अधिमानतः 35 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/–

17

सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजिनीयर) विद्युत (इलेक्ट्रीकल)	विद्युत अभियांत्रिकी **(**इलेक्ट्रीकल इंजिनीयरिंग) में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में स्नातक उपाधि (बेचलर डिग्री). साथ ही बडे निर्माणो/इमारतों के इलेक्ट्रीकल कार्य के संचालन एवं संधारण, उपरी (ओव्हरहेड) लाइनों व भूमिगत (अंडरग्राउंड) तारों में बिजली के वितरण, बडे उदयोगों या समान स्तर के बडे इमारत समूहों (कांप्लेक्सों)में विद्युत उप केंद्र (पावर सब स्टेशन) उपकरणों के संचालन एवं संधारण में 3 वर्ष का अनुभव. या इलेक्ट्रीकल इंजिनीयरिंग में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में 3 वर्ष अवधि का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या समकक्ष व साथ ही बडे निर्माणो/इमारतों के इलेक्ट्रीकल कार्य के संचालन एवं संधारण, उपरी (ओव्हरहेड) लाइनों व भूमिगत (अंडरग्राउंड) तारों में बिजली के वितरण, बडे उदयोगों या समान स्तर के बडे इमारत समूहों (कांप्लेक्सों) में विद्युत उप केंद्र(पावर सब स्टेशन) उपकरणों के संचालन एवं संधारण में 8 वर्ष का अनुभव.	अधिमानतः 35 वर्ष तक	15600—39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/—
सहायक कुलसचिव (असिस्टेंट रजिस्ट्रार)	न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष “बी” ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही लगातार बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड. .	35 वर्ष तक	15600—39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/—
सहायक ग्रंथपाल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन)	न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष “बी” ग्रेड के साथ ग्रंथालय विज्ञान(लाइब्रेरी साइंस)/सूचना विज्ञान /प्रलेखीकरण(डाक्यूमेंटेशन) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ लगातार बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड व ग्रंथालय के कंप्यूटरीकृत स्वचालन (लाइब्रेरी आटोमेशन) का ज्ञान.	35 वर्ष तक	15600—39100 (पे बैंड 3) एजीपी रु. 5400/—

(नेटवर्क कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर)	**(i)** संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी (कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग)/वैदयुतीय संचार (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन), सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक/बी.ई. या कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में एमसीए/एम.एससी उपाधि (डिग्री). **(ii)** किसी संस्थान में सिस्टम व नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जिसमें जनरल डोमेन सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूजर एकाउंट प्रबंधन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन,सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वेब सर्वर व डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो.	40 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) एजीपी रु. 5400/–
नियोजन सह जनसंपर्क अधिकारी (प्लेसमेंट कम पब्लिक रिलेशन आफिसर)	**(i)** न्यूनतम 55% अंकों या यूजीसी के 7 पाइंट स्केल में समकक्ष “बी” ग्रेड के साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान/ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन(हयुमेन रिसोर्सेज डेवलपमेंट)/समूह संप्रेषण (मास कम्युनिकेशन) में एमबीए/ स्नातकोत्तर उपाधि (डिग्री)/ प्रौद्योगिकी/अभियांत्रिकी अभिकल्पन में एम.टेक या समकक्ष डिग्री. **(ii)** शिक्षा समाप्त होने के बाद किसी संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/कंपनी/ प्रतिष्ठित उद्योग में कार्य करने का न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव. **(iii)**उम्मीदवार वार्तालाप/संभाषण/संप्रेषण कला में अत्यंत कुशल होना चाहिए **(iv)** कंप्यूटर एवं इंटरनेट उपयोग में प्रवीण होना चाहिए.	45 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/–
अनुसंधान अभियंता(रिसर्च इंजिनियर)	संबंधित क्षेत्र में बी.टेक/बी.ई. के साथ ही बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड जो लगातार प्रदर्शन सूची (क्युम्युलेटिव परफार्मेंस इंडेक्स) में 10 पाइंट स्केल या समकक्ष ग्रेड/प्रतिशत पर 6.5 या अधिक हो, व किसी	35 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/–

	अनुसंधान/विकास संस्थान या उद्योग में कम से कम 2 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट)अनुभव. या एम.टेक या एम.ई उपाधि (डिग्री) धारी हो.		

19

20

मुख्य सुरक्षा अधिकारी(चीफ सिक्योरिटी आफिसर) (नया पदनाम सिक्योरिटी आफिसर होगा)	**(i)**किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक डिग्री. **(ii)** सेना/अर्धसैनिक बल/पुलिस/अन्य किसी शासकीय विभाग संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय स्वायत्त संस्था में पर्यवेक्षकीय (सुपरवायजरी) हैसियत से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव.	40 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/–
तकनीकी अधिकारी (टेक्नीकल आफिसर)	बी.टेक/बी.ई / संबंधित क्षेत्र में एम.एससी उपाधि (डिग्री)/एमसीए के साथ बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड जो लगातार प्रदर्शन सूची (क्युम्युलेटिव परफार्मेंस इंडेक्स) में 10 पाइंट स्केल या समकक्ष ग्रेड/प्रतिशत पर 6.5 या अधिक हो व तकनीकी सहायक ग्रेड 1 या समकक्ष पद पर कार्य का कम से कम 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव.	40 वर्ष तक	15600–39100 (पे बैंड 3) जी.पी. रु. 5400/–

ग्रुप बी

प्रोग्रामर	**(i)** बी.ई./संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी (कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग)/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक या कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड में एमसीए/एम.एससी उपाधि (डिग्री). **(ii)** प्रोग्रामिंग का 2 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव.	32 वर्ष तक	9300–34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4600/–
कार्यपालक प्रबंधक (एक्जीक्युटिव मेनेजर)	**(i)**किसी भी शाखा/क्षेत्र मे 55% अंकों के साथ उपाधि (डिग्री). **(ii)** तत्काल निम्न पद या ग्रेड पर, ग्रेड पे रु.4200/– या अधिक या समकक्ष में, 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट)अनुभव.	32 वर्ष तक	9300–34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4600/–

कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजिनीयर) (सिविल)	सिविल अभियांत्रिकी (सिविल इंजिनीयरिंग) में स्नातक उपाधि (डिग्री) तथा न्यूनतम 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव. या सिविल इंजिनीयरिंग में 3 वर्ष अवधि का डिप्लोमा एवं सिविल निर्माण परियोजनाओ के संचालन एवं संधारण में 3 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट)अनुभव.	32 वर्ष तक	9300—34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4200/—
कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजिनीयर) (इलेक्ट्रीकल)	विद्युत अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रीकल इंजिनीयरिंग) में स्नातक उपाधि (डिग्री) तथा न्यूनतम 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव. या इलेक्ट्रीकल इंजिनीयरिंग में 3 वर्ष अवधि का डिप्लोमा व इलेक्ट्रीकल निर्माण परियोजनाओ के संचालन एवं संधारण में 3 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट)अनुभव.	32 वर्ष तक	9300—34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4200/—
वरिष्ठ आशुलिपिक (सीनियर स्टेनोग्राफर) (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 1 होगा)	किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री) तथा 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव जिसमे से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, जीपी रु.2400/—या अधिक या समकक्ष पर उच्च श्रेणी लिपिक, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, कार्यपालक सहायक या समकक्ष पद के स्तर पर हो. कंप्यूटर व सचिवालयीन पध्दति के कार्यालयीन प्रयोग का ज्ञान हो.	32 वर्ष तक	9300—34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4200/—
कनिष्ठ अधीक्षक (जूनियर सुपरिंटेंडेंट) (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 1 होगा)	किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री) तथा 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव जिसमे से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जीपी रु.2400/—या अधिक या समकक्ष पर उच्च श्रेणी लिपिक, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, कार्यपालक सहायक या समकक्ष पद के स्तर का हो. कंप्यूटर व सचिवालयीन पध्दति के कार्यालयीन प्रयोग का ज्ञान हो.	32 वर्ष तक	9300—34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4200/—

वरिष्ठ ग्रंथालय सूचना सहायक (सीनियर लाइब्रेरी इन्फार्मेशन असिस्टेंट) (नया पदनाम ग्रंथालय व सूचना सहायक ग्रेड 1 होगा)	**(i)**किसी भी शाखा/क्षेत्र मे मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (डिग्री). **(ii)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रंथालय व सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि (डिग्री)या समकक्ष डिप्लोमा. **(iii)** किसी ग्रंथालय में ग्रंथों/किताबों को जारी करना/वापसी प्रणाली, अभिलेखों का रखरखाव व संधारण तथा कंप्यूटरीकृत स्वचालन (आटोमेशन) के कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव. **(iv)** रु.2400/— या अधिक या समकक्ष ग्रेड पे के पद पर ग्रंथालय के कंप्यूटरीकृत स्वचालन (आटोमेशन) साफटवेयर का कार्यसाधक ज्ञान.	32 वर्ष तक	9300—34800 (पे बैंड 2) जीपी रु. 4200/—

तकनीकी सहायक ग्रेड 1 (टेक्नीकल असिस्टेंट ग्रेड 1)	संबंधित शाखा/क्षेत्र में 4 वर्ष अवधि की स्नातक उपाधि (डिग्री) के साथ 4 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट)अनुभव. या संबंधित शाखा/क्षेत्र में 3 वर्ष अवधि की स्नातक उपाधि (डिग्री) के साथ 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट)अनुभव. या संबंधित शाखा/क्षेत्र में 3 वर्ष अवधि के डिप्लोमा के साथ 6 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव. अनुभव किसी शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान/औदयोगिक इकाई में ही होना चाहिए. कंप्यूटर प्रयुक्तियों(एप्लीकेशंस) के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए.	32 वर्ष तक	9300—34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4800/—

स्वास्थ्य सहायक (मेडिकल असिस्टेंट)	नर्सिंग में बी. एससी उपाधि (डिग्री)के साथ शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम या प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में 4 वर्ष का नर्सिंग अनुभव. या जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी में डिप्लोमा के साथ शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम या प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में 5 वर्ष का नर्सिंग अनुभव. या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) व्दारा मान्यता प्राप्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/आर्मी/नेवी/इंडियन एयर फोर्स व्दारा संचालित नर्सिंग टेक्नीकल कोर्स जो सिविल में मेल नर्सिंग के समकक्ष है एवं शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम या प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में न्यूनतम 10 वर्ष का नर्सिंग अनुभव.	32 वर्ष तक	9300–34800 (पे बैंड 2) जी.पी. रु. 4200/–

ग्रुप सी

सुरक्षा सहायक (सिक्योरिटी असिस्टेंट)	(i)किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री). (ii) किसी शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/तत्सम संस्था में सुरक्षा कर्मी कार्य(सिक्योरिटी स्टाफ) में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव.	32 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/–
उच्च श्रेणी लिपिक (अपर डिवीजन क्लर्क) (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 2 होगा)	(i)किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री) के साथ ग्रेड वेतन 1900/- या अधिक या समकक्ष के साथ निम्न श्रेणी लिपिक या समकक्ष स्तर पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव. (ii) कंप्यूटर पर कार्यालयीन प्रयुक्तियों(एप्लीकेशंस) का ज्ञान होना चाहिए.	32 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/–

कार्यालय सहायक ग्रेड 1 (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 2 होगा)	(i)किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री). (ii) 3 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव. (iii) कंप्यूटर पर कार्यालयीन प्रयुक्तियों (एप्लीकेशंस) का ज्ञान होना चाहिए.	32 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/–
उप लेखा सहायक (डिप्टी एकाउंटस असिस्टेंट) (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 2 होगा)	(i)किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री) के साथ ग्रेड वेतन 1900/- या अधिक या समकक्ष के साथ निम्न श्रेणी लिपिक या समकक्ष स्तर पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव. (ii) कंप्यूटर पर कार्यालयीन प्रयुक्तियों (एप्लीकेशंस) का ज्ञान होना चाहिए.	32 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/–
निम्न श्रेणी लिपिक (लोअर डिवीजन क्लर्क) (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 3 होगा)	(i)किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री). (ii) कंप्यूटर पर कार्यालयीन प्रयुक्तियों (एप्लीकेशंस) का ज्ञान होना चाहिए.	27 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 1900/–
ग्रंथालय सहायक (लाइब्रेरी असिस्टेंट)	(i)किसी भी शाखा/क्षेत्र में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (डिग्री). (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रंथालय व सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि (डिग्री) या समकक्ष डिप्लोमा. (iii) ग्रंथालय के कंप्यूटरीकृत स्वचालन (आटोमेशन) साफटवेयर का कार्यसाधक ज्ञान.	32 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/–
तकनीकी सहायक ग्रेड 2 (टेक्नीकल असिस्टेंट ग्रेड 2)	(i)इंजिनियरिंग में 3 वर्ष अवधि का डिप्लोमा. या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष अवधि की उपाधि (डिग्री) के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य का 3 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव. या (10+2)उत्तीर्ण होकर संबंधित क्षेत्र में 12 माह की अवधि का शासन व्दारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से आयटीआय कोर्स किया हो व संबंधित क्षेत्र में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव. (ii) कंप्यूटर प्रयुक्तियों(एप्लीकेशंस) का ज्ञान होना चाहिए.	32 वर्ष तक	5200–20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/–

परिचारक(केयर टेकर) (नया पदनाम कार्यपालक सहायक ग्रेड 2 होगा)	**(i)** किसी भी शाखा/क्षेत्र में स्नातक उपाधि (डिग्री) के साथ निम्न श्रेणी लिपिक या समकक्ष स्तर पर कार्य का 3 वर्ष का अनुभव. **(ii)** कंप्यूटर पर कार्यालयीन प्रयुक्तियों (एप्लीकेशंस) का ज्ञान होना चाहिए.	32 वर्ष तक	5200—20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2400/—
प्रयोगशाला सहायक (लेब असिस्टेंट)	**(i)**विज्ञान में बी.एससी उपाधि (डिग्री) या इंजिनियरिंग में 3 वर्ष अवधि का डिप्लोमा व 1 वर्ष का अनुभव. या (10+2)उत्तीर्ण होकर संबंधित क्षेत्र में 12 माह की अवधि का शासन व्दारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से आयटीआय कोर्स किया हो व संबंधित क्षेत्र में कार्य का 3 वर्ष का अनुभव. **(ii)** कंप्यूटर प्रयुक्तियों(एप्लीकेशंस) के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए.	30 वर्ष तक	5200—20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 2000/—
वाहन चालक (ड्रायवर)	**(i)**हायर सेकेंडरी (10+2) उत्तीर्ण होने के साथ भारी व हल्के दोनों तरह के वाहन चलाने का लाइसेंसधारी हो साथ ही ड्रायविंग व वाहन के रखरखाव/संधारण का 3 वर्ष का अनुभव हो. या **(ii)** (10+2) उत्तीर्ण के साथ आयटीआय कोर्स किया हो साथ ही भारी व हल्के दोनों तरह के वाहन चलाने का लाइसेंसधारी होने के साथ 2 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव हो.	30 वर्ष तक	5200—20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 1900/—
विदयुत कर्मकार (इलेक्ट्रीशियन) (नया पदनाम टेक्नीशियन-इलेक्ट्रीकल होगा)	विदयुत(इलेक्ट्रीकल)/संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि का शासन व्दारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा व 3 वर्ष का अनुभव या मेट्रीक्युलेशन उत्तीर्ण के साथ संबंधित क्षेत्र में 12 माह की अवधि का शासन व्दारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से आयटीआय कोर्स किया हो व 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव.	30 वर्ष तक	5200—20200 (पे बैंड 1) जी.पी. रु. 1900/—

नल-जल कर्मकार	मेट्रीक्युलेशन उत्तीर्ण के साथ संबंधित क्षेत्र में 12 माह	30 वर्ष तक	5200—20200

(प्लंबर) (नया पदनाम टेक्नीशियन-मेकेनिकल होगा)	की अवधि का शासन व्दारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से आयटीआय कोर्स किया हो व 5 वर्ष का तत्संबंधी (रिलेवेंट) अनुभव.		(पे बैंड 1) जी.पी. रु. 1900/–

नोटः यदि किसी व्यक्ति को ग्रुप 'ए' श्रेणी के पद के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया हो व उसे चयन समिति व्दारा पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त न समझा गया हो, तो, समान श्रेणी अथवा उच्चतर श्रेणी के किसी पद पर, नियुक्ति हेतु उसके आवेदन पर साक्षात्कार/चयन समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष तक, विचार नहीं किया जाएगा.

आयुसीमा में शिथिलता –

आयुसीमा में शिथिलता केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार होगी.

13 अन्य श्रेणियों में नियुक्ति :

13.1 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति एवं तदुपरांत स्थायी रुप से संविलियन

संस्थान को यह अधिकार होगा कि संस्थान के हित में किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर (अपाइंटमेंट आन डेपुटेशन) नियुक्त कर सके. ग्रुप 'ए' पदों पर नियुक्ति हेतु अधिशासी मंडल के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह निदेशक/चयन समिति की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति को अनुमोदित करें. नियुक्ति पर अध्यक्ष के अनुमोदन के तत्काल बाद होने वाली बैठक में मंडल को इस बाबत सूचित (रिपोर्ट) किया जाएगा. अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु निदेशक को अधिकार होगा. प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार होगी. एमओए के क्लाज 9 के तहत गठित, चयन समिति की अनुशंसा के माध्यम से, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को, स्थायी रुप से संस्थान में संविलियन करने पर विचार किया जा सकता है, यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो बशर्ते कि वह जिस पर प्रतिनियुक्त है उस पद को सार्वजनिक रुप से विज्ञापित (घोषित) किया गया था. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त/लघु अवधि के अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति के स्थायी रुप से संविलियन हेतु प्रक्रिया, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार व्दारा समय समय पर बनाए गए/संशोधित/शिथिल किए गए भर्ती नियमों पर, उसके दिशानिर्देशों व्दारा

निर्धारित किये अनुसार अपनाई जाएगी. प्रतिनियुक्त व्यक्ति के संविलियन हेतु प्रतिनियुक्त व्यक्ति जिसके अधीनस्थ कार्यरत है, उस निदेशक/अधिकारी/संकाय व्दारा, जैसा भी प्रकरण हो, प्रतिनियुक्त कर्मचारी के स्थायी रुप से संविलियन की अनुशंसा पर, नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अनुमोदन किया जाएगा.

13.2 सलाहकारों की नियुक्ति –

संस्थान के हित में, सलाहकार के रुप में पेशेवरों/विशेषज्ञों/वरिष्ठ प्रशासनिक एवं अन्य तकनिकी अधिकारियों को, केंद्र सरकार व्दारा नियत प्रावधानों के तहत उन शर्तों पर, जो समय समय पर मंडल व्दारा संशोधित की जाएगी, निदेशक नियुक्त कर सकेगा. उन सलाहकारों की नियुक्ति हेतु , जो ग्रुप 'ए' अधिकारी को प्रारंभिक सीधी भर्ती के स्तर पर एक वर्ष में दी जा रही सकल परिलब्धियों से कम वार्षिक सलाह मूल्य (प्रभार) लेते है, की नियुक्ति हेतु निदेशक, नियुक्ति प्राधिकारी होगा. अन्य सभी प्रकरणों में निदेशक व्दारा अध्यक्ष अधिशासी मंडल को अनुशंसा की जाएगी, जो ऐसे मामलों में अनुमोदन प्राधिकारी होगा. सकल परिलब्धियों में मूल वेतन+श्रेणी वेतन (शैक्षिक ग्रेड पे) +महंगाई भत्ता+मकान किराया भत्ता+परिवहन भत्ता शामिल होंगे.

13.3 संकाय की पुनर्नियुक्ति –

अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति(सुपरएन्युएशन रिटायरमेंट) की तिथि के बाद किसी संकाय को, निदेशक की अनुशंसा पर मंडल के अनुमोदन पश्चात, नियत समेकित वेतन (कन्सोलिडेटेड पे) पर पुनर्नियुक्त करने हेतु, मंडल विचार कर सकता है. प्रारंभ में पुनर्नियुक्ति 3 वर्ष हेतु होगी जिसे अगले 2 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी कम हो, तक विस्तारित किया जा सकता है.

13.4 अन्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति –

अन्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी व तभी की जाएगी, जब तत्काल जरुरत हो व रिक्ति तत्काल न भरी जा सकती हो. पुनर्नियुक्ति के ऐसे समस्त प्रकरणों में रिक्ति के विरुध्द भर्ती हेतु प्रयत्न शीघ्रातिशीघ्र किए जाने चाहिए.

14 <u>सेवा अनुबंध :</u>

अनुबंध पर संस्थान में नियुक्त कर्मचारी के लिए आवश्यक होगा कि वह, नियत प्रपत्र(संस्थान व्दारा निर्धारित) में अनुबंध निष्पादित करें.

15 <u>कर्मचारियों के नियुक्ति प्रस्ताव में दर्शाई जाने वाली मूल सेवा शर्तें :</u>

15.1 स्वास्थ्य फिटनेस –

प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के साथ ही होगी कि नियुक्ति धारी अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रमाणित हो व निदेशक व्दारा नियुक्त मेडिकल प्राधिकारी व्दारा उसे नौकरी हेतु स्वस्थ(फिट) घोषित किया जाए. तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारण से किसी विशिष्ट प्रकरण में, या विशिष्ट प्रकरण समूह हेतु मेडिकल आवश्यकता को, उन स्थितियों के, यदि कोई हो, अध्यधीन शिथिल कर सकेगा, जो कि मंडल व्दारा, तय की जाए.

15.2 परिवीक्षा –

संस्थान के अधीन पदों पर स्थायी नियुक्ति, सामान्यतः 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी. उक्त अवधि के बाद, स्थायी होने पर, नियुक्त व्यक्ति उस मासांत जिसमें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होती हो तक, अपने पद पर बना रहेगा. निम्न स्थितियों के अलावा कि, उसके व्दारा संस्थान की सेवा स्वयं ही त्याग दी जाए/संबंधित प्रभावी नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही के परिणाम स्वरुप उसे सेवा से हटा दिया जाए/सेवा से बर्खास्त किया जाए.

15.3 परिवीक्षा का विस्तार –

नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी कर्मचारी की परिवीक्षा, उचित समझी गई अवधि हेतु जो अधिकतम 1 वर्ष होगी, तक बढा सके. तथापि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तिथि से 60 दिवस पश्चात, कर्मचारी स्थायी मान लिया जाएगा यदि औपचारिक रुप से उसकी परिवीक्षा अवधि न बढाई गई हो व अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हो. परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी स्टाफ सदस्य को, एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के ऐवज में एक माह का वेतन देकर, बिना कोई कारण बताए, उसकी सेवा समाप्त कर सके.

15.4 परिवीक्षा के बाद स्थायीकरण –

परिवीक्षाधीन कर्मचारी को उसके व्दारा परिवीक्षा अवधि(परिवीक्षा की विस्तारित अवधि सहित) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी किया जा सकता है. स्थायीकरण का एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा.

15.5 नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी स्टाफ सदस्य को, मेडिकल आधार या अन्य आधार पर, तीन माह का नोटिस अथवा नोटिस के ऐवज में तीन माह का वेतन देकर, उसकी सेवा समाप्त कर सके, यदि पद के नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा नियुक्त मेडिकल प्राधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर कर्मचारी का सेवा में रहना, नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अवांछनीय समझा जाए.

15.6 संस्थान का कोई भी कर्मचारी संस्थान की सेवा छोडने हेतु तीन माह का नोटिस, नियुक्ति प्राधिकारी को दे सकता है. तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से, इस अवधि को कम कर सकता

है या उक्त कर्मचारी से शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक, जिस सत्र में नोटिस दिया गया हो, सेवा जारी रखने हेतु आग्रह कर सकता है.

15.7 मंडल को यह अधिकार होगा कि, बदलते हुए समय व अर्थव्यवस्था में आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुरुप, संस्थान की मानव संसाधन(स्टाफ) की आवश्यकता को पुनर्निधारित कर सके व किसी भी कर्मचारी की सेवाएं, उसे 6 माह का नोटिस अथवा नोटिस के ऐवज में 6 माह का वेतन देकर सेवामुक्त कर सके.

15.8 आचरण संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) –

संस्थान के सभी कर्मचारी आचरण संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करने हेतु बाध्य होंगे.

15.9 चल अचल संपत्ति/आस्तियों बाबत घोषणापत्र –

सभी स्थायी कर्मचारियों को आवश्यक होगा कि वे उनकी चल व अचल संपत्ति व आस्तियों बाबत घोषणापत्र, नियुक्ति के बाद संस्थान में उपस्थिति देते समय व तदुपरांत प्रति वर्ष 30 जनवरी तक, पिछले केलेंडर वर्ष हेतु प्रस्तुत करें.

15.10 अवकाश नियम –

सभी कर्मचारी, संस्थान के अवकाश नियमों से शासित होंगे.

15.11 कर्तव्य (डयुटीज) –

सभी कर्मचारियों के कार्य(कर्तव्य)(डयुटीज),उनके पद हेतु निर्धारित किए गए अनुसार होंगे,साथ ही उन्हें वे अन्य कार्य (डयुटीज) भी करना होंगे, जो संस्थान के प्राधिकारियों व्दारा उन्हें समय समय पर सौंपे जाएं.

15.12 प्रथम उपस्थिति एवं अधिवार्षिकी (सुपरएन्युएशन रिटायरमेंट) पर यात्रा भत्ता(टी.ए.) –

प्रथम उपस्थिति पर एवं अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति(सुपरएन्युएशन रिटायरमेंट) पर यात्रा भत्ता(टी.ए.), संस्थान के तत्संबंधी प्रभावी नियमों के अनुसार ग्राहय होगा.

15.13 चरित्र प्रमाणपत्र –

प्रथम नियुक्ति पर उपस्थित होते समय, कर्मचारी को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या केंद्र/राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड आफिसर) व्दारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. संस्थान

में नियुक्ति के पूर्व से ही शासकीय/अर्धशासकीय /अनुदान प्राप्त स्वायत्त संस्था या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत रहे कर्मचारियों हेतु चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी.

15.14 सेवांत(रिटायरमेंट)लाभ –

सेवांत(रिटायरमेंट)लाभ, संस्थान व्दारा समय समय पर तय मानदंड(नार्मस) के अनुसार लागू होंगे.

15.15 अधिवार्षिकी आयु (एज ऑफ सुपरएन्युएशन) –

जैसी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी) व्दारा समय पर समय पर पद/पदों हेतु नियत हो.

15.16 सामान्य शर्तें –

संस्थान के अंतर्नियमों(मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन) में वर्णित अन्य सभी सेवा शर्तें/नियम, अनुशासनिक नियम व आचरण नियम, एवं तदनुसार बनाए गए नियम व आदेश कर्मचारी को लागू होंगे.

16 <u>अस्थायी नियुक्ति के नियम</u> :

नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अनुमोदित नियुक्ति आदेश में वर्णित सेवा शर्तें व नियम अस्थायी नियुक्त कर्मचारी को लागू होंगे. संकाय/शैक्षणिक पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु विदेशी नागरिक भी पात्र होंगे. अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना(नोटिस) देकर अथवा नोटिस के ऐवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा समाप्त की जा सकेंगी. अस्थायी कर्मचारी भी एक माह का लिखित नोटिस देकर सेवा छोड सकेगा. निदेशक आवश्यक समझे तो, वह इस आवश्यकता को पूर्ण या आंशिक रुप से छोड सकता है. 6 माह अथवा कम अवधि की अस्थायी नियुक्ति के प्रकरण में नोटिस की अवधि, किसी भी पक्ष हेतु 15 दिन होगी.

कोई भी नियम व सेवा शर्तें, जो यहां शामिल नहीं हो, वहां भारत सरकार के नियम प्रभावी होंगे.